I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0013 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 17/09/2026 19:04 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 04/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 17/09/2026

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 18:37 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/09/2026 **Time (समय):** 18:37 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 021 **Date and Time (दिनांक और समय):** 17/09/2026 18:37 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-EAST, 20 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): PS KALKA DISTT PANCHKULA,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** नवीन कुमार

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री श्याम लाल

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1981 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**टगरा हरि सिंह कालका, PANCHKULA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**टगरा हरि सिंह कालका, PANCHKULA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9354494989

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	SI देवी दयाल			1. थाना कालका जिला पंचकुला, PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,

श्रीमान जी

निवेदन है कि मैं नवीन कुमार पुत्र श्री श्याम लाल निवासी गाँव टगरा हरि सिंह कालका जिला पंचकूला का रहने वाला हूं और प्राईवेट ड्राईवर का कार्य करता हूं। मैंने अपने निजि कार्य के लिए अपने

दोस्त रजनीश कुमार से 5 लाख रुपये ब्याज पर लिए थे। जिसको मैं प्रति माह ब्याज दे रहा हूं। लेकिन फरवरी 2026 में वह मेरे घर पर आया और मेरे घरवालों से बोलचाल व झगडा करने लगा और मुझसे पैसे मांगने लगा। जिस पर मैंने उसे कुछ दिन का समय मांगा। लेकिन वह मुझे बहुत तंग करने लगा जिस कारण मैने एक शिकायत गाली गलोच करने के सम्बन्ध में थाना कालका में दी थी मेरी शिकायत SI देवी दयाल के पास थी और दिनांक 24.02.2026 को हमारा आपस में SI देवी दयाल ने समझौता करवा दिया था। उसके कुछ दिन बाद रजनीश ने मेरे नाम एक शिकायत थाना में मोबाइल चोरी की दे दी और यो शिकायत भी SI देवी दयाल के पास थी परन्तु अब वह शिकायत किसी अन्य पुलिस कर्मचारी वासुदेव के पास है। इस शिकायत बारे मुझे थाना में बुलाया और मेरे को SI देवी दयाल ने कहा कि आपने रजनीश के फोन चोरी करके बेच दिए है जिस कारण आपके खिलाफ पर्चा दर्ज करना पड़ेगा जिस पर मैने कहा की मुझे तो मोबाईल चोरी के बारे में पता ही नही है। हमारा तो सिर्फ पैसे का लेन देन है। जिस पर SI देवी दयाल ने मेरे को कहा की उनसे आपका समझौता करवा देगें पर और आपको मोबाईल के 40,000/- रूपये रजनीश के खाता में डालने होगे और मेरे 3,000 रुपये पहले शिकायत का समझौता करवाने के नाम के व अब 10,000 रुपये (कुल 13,000 रूपये) इस शिकायत को बन्द करवाने के व रजनीश के रुपये वापिस करने का कुछ दिन का और समय (टाईम) दिलवाने के देने होंगे और उन्होने यह भी कहा कि वासुदेव को मैं अपने आप समझा दूँगा। मैने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास इतने पैसे नही है जिस पर SI देवी दयाल ने कहा की तीन-चार दिन में इंतजाम करके रुपये ले आना आपका काम हो जाएगा। इस रिश्वत राशि को मांगने की मैने देवी दयाल की रिकार्डिंग डिवाइस में की हुई है। रिकार्डिंग डिवाइस को मै बाद में अलग से पेश कर दूँगा। SI देवी दयाल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। Naveen Kumar नवीन कुमार पुत्र श्री श्याम लाल निवासी टगरा हरि सिंह कालका जिला पंचकूला हरियाणा मो.न. 93544 94989.
कार्यवाही पुलिस- दिनांक 05.09.2026 को मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला मंडल, पंचकूला हूं कि उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में दिनांक 08.08.2026 को शिकायतकर्ता श्री नवीन कुमार पुत्र श्री श्याम लाल निवासी गांव टगरा हरि सिंह कालका जिला पंचकूला ने हाजिर आकर थाना रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो, सेक्टर-17, पंचकूला आकर एक शिकायत विरुद्ध उप निरीक्षक देवी दयाल थाना कालका जिला पंचकूला बाबत नवीन के विरुद्ध फोन चोरी की प्राप्त शिकायत को बन्द करवाने के नाम पर उप निरीक्षक देवी दयाल द्वारा 13,000/- की रिश्वत मांगने बारे उपरोक्त शिकायत पेश की थी। जिस संबंध में दिनांक 07.08.2026 को उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में टीम गठित करके रेड कार्यवाही का प्रयास किया गया लेकिन उप निरीक्षक देवी दयाल द्वारा दिनांक 08.08.2026 को आने बारे कहा गया। फिर दिनांक 08.08.2026 को उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में टीम गठित करके रेड कार्यवाही का प्रयास किया गया लेकिन जब शिकायतकर्ता को थाना कालका में तैनात उप निरीक्षक देवी दयाल को रिश्वत राशि देने के लिए भेजा गया था तो उप निरीक्षक देवी दयाल ने रेड की कार्यवाही का शक होने के कारण रिश्वत राशि नहीं ली। जिस कारण मौका पर रेड नहीं की जा सकी। जिस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई दरखास्त को उचित माध्यम से अफसरानबाला की सेवा में भेजा गया था। जो शिकायतकर्ता द्वारा उप निरीक्षक देवी दयाल की पैसे मांगने की रिकार्डिंग की हुई है। दिनांक 02.09.2026 को शिकायतकर्ता ने अपने व उप निरीक्षक देवी दयाल के बीच रिश्वत के संबंध में हुई बातचीत की डिवाईस में की गई रिकार्डिंग पेश की, ओडियो रिकोर्डिंग की बातचीत का विवरण लिखा गया। जो संक्षिप्त में कुछ अंश इस प्रकार हैं :-

SI देवी दयालः ऐसा है, पचासेक तो देने पडेंगे, पचास नी, चालीस एक दे देंगे सोरे ते दस हमारे पास चलजांगा.....

नवीन कुमारः फेर सर जी, दसेक तो ले लो, लेकिन दो महीने का टाएम दवा दो।

SI देवी दयालः चल, टाइम दवा देंगं तेरे को, टाइम दवा देंगे .....मोबाइलो वालो मा उसमें तो नहीं, उसमें तो पची तारीख है।

नवीन कुमारः प्रदीप भाई, सुन प्रदीप भाई...

प्रदीपः अस्पष्ट आवाज..............

नवीन कुमारः मेर पास पडे हैं इस टाइम सताईस ठाई जार रुपये मेरे को अपने पापा से, प्रधान जी से दवा दो, मैं दे दूंगा म्मी की अगली पॉशन आयेगी.. कोई ना सर, करता हूं मैं।

SI देवी दयालः चल, कर ले....

नवीन कुमारः ठीक है...

प्रदीपः अस्पष्ट आवाज..............

नवीन कुमारः फिर उनको वासुवेद जी को आपने अपने आप मनाना, कहीं वो अलग से मेरे पीछे पड जै...

SI देवी दयालः जब.... देवेगा जिव देवेगा.......... वासुदेव देवेगा तो तभी तो...
नवीन कुमारः मैं तो आपको ही दूंगा।
SI देवी दयालः पिछले तो तन्ने देने हैं वे तीन...
नवीन कुमारः तो तीन तो देने ही हैं, तीन हर दस तेराह दे दूंगा ना। फिर आपने अपने आप संभालना है जी, मैं, मेरा बार-बार वो ना होये, हैं ना.
SI देवी दयालः वो भी सेटिस्फाई करना पडेगा हमने।
जो डिवाइस की रिकार्डिंग सुनने, उसके विवरण का विश्लेषण करने, शिकायत के सार व शिकायतकर्ता के कथन से पाया गया कि उप निरीक्षक देवी दयाल थाना कालका जिला पंचकूला द्वारा शिकायत के संबंध में 13,000/- रुपए गिरफ्तारी का डर दिखाकर रिशवत की मांग करनी पाई गई। जिससे अपराध धाराधीन 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018 में) का घटित होना पाया जाने पर ड्राफ्ट लेख लिखकर उच्च अधिकारियों की सेवा में भेजा रहा है। अज- कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला मंडल, पंचकूला। SD UMED SINGH 22/KNL, निरीक्षक उमेद सिंह, थाना रा0 स0 एवं भ्र0नि0 ब्यूरो, पंचकुला मंडल, पंचकूला ।, दिनांक 05.09.2026 इसके उपरान्त आगामी कार्यवाही हेतू व अनुमोदन हेतू सूचित माध्यम अफसरान बाला के कार्यालय मे भेजी गई थी । जिसपर कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पत्र क्रमांक 18634/शिकायत/386/PKL/2026 date 16.09.2026 व पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला मंडल, पंचकूला के पत्र क्रमांक 2708 SVACB/PKL date 17.09.2026 अनुसार शिकायत उपरोक्त पर अभियोग अंकित करने बारे निर्देश प्राप्त हुए है । जिसपर लेख लिखकर अभियोग अंकित किया जा रहा है । अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिंया बतौर स्पैशल रिपोर्ट स्पेशल जज अदालत पंचकूला व अच्च अधिकारियों की सेवा मे भिजवाई जाए तथा अभियोग में आगामी अनुसन्धान हेतु नकल मिसल अभियोग मय दस्तावेज पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार निरीक्षक अजय कुमार के हवाले की जाए ।
अज - थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सैक्टर-17 पंचकूला।

SD UMED SINGH 22/KNL

निरीक्षक उमेद सिंह,

थाना रा0स0 एवं भ्र0नि0 ब्यूरो,

पंचकूला मंडल, पंचकूला।

दिनांक 17.09.2026

समय 6:10 PM

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 13 दिनाँक 17.09.2026 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पैशल मैजीस्ट्रेट साहब, जिला पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान हेतु निरीक्षक अजय कुमार के हवाले की जाएगी । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Rank (पद):** I (Inspector)

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): UMED SINGH

No. (सं.): 22KNL **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): MOHIT HANDA

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1975				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)